

[Shrimati Indira Gandhi]

I did not visit any temples, or do any visiting of that kind as my time in each place was extremely limited.

श्री राजनारायण : माननीया, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ मैंने जो निवेदन किया था उसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने नहीं दिया। राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कोआपरेशन की चर्चा हुई तो एक घंटा, आधा घंटा जो इस सदन का समय नष्ट हुआ है उसमें क्या प्रधान मंत्री के बयान से कोई रोशनी पड़ी। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि राजनैतिक कोआपरेशन किस ढंग से होगा, आर्थिक कोआपरेशन किस ढंग से होगा, कल्चरल कोआपरेशन किस ढंग से होगा, तकनीकी कोआपरेशन किस ढंग से होगा। जब प्रधान मंत्री वहाँ गई, उनकी चर्चा हुई और जब प्रधान मंत्री सदन में बयान दे रही हैं तो उनको बताना चाहिये कि सांस्कृतिक फील्ड में हमने यह यह चर्चा की, तकनीकी फील्ड में हमने यह यह चर्चा की, आर्थिक फील्ड में हमने यह यह चर्चा की, वरना इस तरह का बयान देने से फायदा क्या है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Prime Minister has given a full reply and I go on to the Private Member's Resolutions. Mr. C. L. Varma will move his Resolution.

SHRI BHUFESH GUPTA : I have given notice of a motion.

श्री राजनारायण : हमारा सुझाव है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसपर चर्चा होनी चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever process is open to hon. Members, they may take it up.

RESOLUTION ER ACCORDING FULL STATEHOOD TO THE UNION TERRITORY OF HIMACHAL PRADESH

SHRI C. L. VARMA (Himachal Pradesh) : Madam, before I move my motion, one day has been allotted for this Resolution. I would like to know how

many hours it constitutes. I have to say that this is a very important Resolution as far as Himachal Pradesh is concerned. It is a life and death question for Himachal Pradesh.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You will get another one and a half hours on the next occasion. Please begin.

SHRI C. L. VARMA: Thank you very much.

मैं अब आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ :

“इस सभा की यह सम्मति है कि हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र को भारतीय संघ का एक राज्य बना देना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन करने हेतु उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।”

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair]

इससे पहले कि मैं प्रस्ताव पर कुछ बोलूँ मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश वजूद में कैसे आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश 31 छोटी छोटी रियासतों का एक प्रदेश है। जिस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर 15 अगस्त 1947 से पहले आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त रियासतों के अन्दर भी आल इंडिया स्टेट पीपुल्स कान्फ़ेंस आजादी की जंग लड़ रही थी। हमारे हृदय अजीज नेता पंडित नेहरू इतकी रहनुमाई करते थे। 1938 के अन्दर जो लुधियाने के अन्दर कान्फ़ेंस हुई उस कान्फ़ेंस में इन रियासतों के सिलसिले में सोचा गया कि ये 562 रियासतें सब सुबे नहीं बन सकती हैं बल्कि ये जितनी छोटी छोटी रियासतें हैं उनको इकट्ठा करके प्रान्त बनाया जाय। इस सिलसिले में यह भी तय हुआ कि जहाँ तक पहाड़ के लोगों का सवाल है वे कल्चरली और लिग्विस्टिकली दूसरे इलाके से अलग हैं और इसी जल्से में इस बात को मान लिया गया कि एक हिमाचल प्रान्त बनाया जाय जिसमें शिमला हिल स्टेट की

रियासतों, पंजाब हिल स्टेट की रियासतों, कांगड़ा, जौनसार, बांवर और टिहरी-गढ़वाल को मिलाया जाय। यह 1938 की बात है, जबकि हिमाचल प्रदेश की बुनियाद शुरू हुई। आल इंडिया स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस के जरिए आजादी की जंग रियासतों के अन्दर लड़ी गई और कई लोग उसमें शहीद हुए। इसमें खास तौर पर हमारे शहीद श्री देव है सुमन जो टिहरी गढ़वाल के जेल में 24 जुलाई 1944 को अनशन पर गए थे और 84 दिन के बाद बे शहीद हो गए। इसी तरह से राजगान ने अंग्रेजों के कहने से कइयों के घर उजाड़ दिए, कइयों को नौकरी से निकाल दिया और यह लड़ाई आजादी की रियासतों के अन्दर पुरजोर से की गई। 15 अगस्त 1947 को जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज जाते जाते एक बात और कर गए कि राजाओं को पैरामाउन्ट पावर दे गए जो बादशाह इंग्लैंड के पास होती थी। उसका नतीजा यह हुआ कि सबके सब आजाद हो गए और जितनी छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे सौराष्ट्र, मध्य भारत वगैरह उनमें यूनियन बननी शुरू हो गई। इसी तरह से शिमला हिल स्टेट्स में और पंजाब हिल स्टेट्स में भी यह लहर चली और एक कांस्टीटुएन्ट असेम्बली के नाम से सोलन के अन्दर एक कान्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें यह बात तय हुई कि कोई यूनियन बनाई जाय, मगर यह जो यूनियन वाला सिलसिला था यह हमारे प्रजा मंडल के बर्कस थे और जो वहाँ के सियासतदान थे उनको पसन्द नहीं आया और उन्होंने कोशिश की कि बजाय यूनियन के कोई और तरीका निकाला जाय। सरदार पटेल जो उस वक्त होम मिनिस्टर भी थे और स्टेट मिनिस्टर भी थे, उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने उनके सामने तीन बातें रखीं। उन्होंने कहा कि तुम इतने छोटे हो, या तो तुम यू० पी० से या पंजाब से मिल जाओ या तुम सबकी एक यूनियन बना लो या एक सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनिट की शक्ल में सेन्टर के मातहत आ जाओ। उस समय जो प्रथा मंडल के बर्कर

थे उस वक्त उन्होंने सबसे पहले यह सोचा कि अगर हम किसी प्राविन्स से मिल जाते हैं तो रियासतों के पास रुपया है ही नहीं और इसलिए पहाड़ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जैसे हमको तजुर्बा है यू० पी० का भी, पंजाब के पहाड़ी इलाकों का भी था। इसलिए उस वक्त यह तय हुआ कि हम सेन्टर के मातहत जाय ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके और लोगों की कुछ भलाई हो सके क्योंकि सरदार पटेल ने उस वक्त भी यह आश्वासन दिया था कि जब डेवलपमेंट हो जायगा उस समय एक वक्त ऐसा आएगा जब यह पूरा एक सूबा बन जायगा। इस बात को देखते हुए सबसे पहले डेवलपमेंट का ख्याल करते हुए यह बेहतर समझा गया कि एक सेन्टर की यूनिट बनाई जाय। इसके अलावा जब यह बात सरदार पटेल से तय की गई तो यह कहा गया कि इसको रेगुलराइज करने के लिए वहाँ की जो स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस थी या हिल रीजन्स कौंसिल थी उसके सामने यह सवाल आए वहाँ के लोगों की तरफ से यह मूव हो। सबसे पहले शिमला के अन्दर एक प्रस्ताव इस सिलसिले में पास हुआ जिसको हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर वाई० एस० परमार ने मूव किया। वह एक राय से मूव हुआ कि सेन्टर के मातहत होना चाहिए बजाय इसके कि यूनियन बने। यह जो यूनिट इस तरह सेन्टर की बनी इसको हिमालयन प्रान्त के नाम से नामजद किया गया। फिर जब यह देखा कि उस तरफ सोलन में कुछ इस किस्म की कान्फ्रेंस हो रही है तो यह बेहतर समझा गया कि इस यूनिट की एक प्रावीजनल गवर्नमेंट बना दी जाय जिसके हेड अपने पंडित शिवानन्द रमौल बने जो कुछ दिनों तक इस हाउस के सदस्य रह चुके हैं। जब वे हेड बन गए तो 8 फरवरी 1948 को सुनि में एक कान्फ्रेंस हुई जिसमें यह तय हुआ कि हमको सत्याग्रह के द्वारा नान-वायलेंट शक्ल में सबसे पहले राजा सुकेत को यह नोटिस देना चाहिए कि वे 48 घंटों के अन्दर अपना

[Shri C. L. Varma]

राज्य लोगों को सौंप दें। 16 फरवरी को नोटिस दिया गया और 16 फरवरी को ही एक जगह फिरनू से सत्याग्रहियों ने मार्च शुरू किया। सत्याग्रहियों के पास बन्दूकें नहीं थीं, तोपों नहीं थीं, सत्याग्रह की शक्ल में खाना हुआ और 5 दिन के अन्दर—पहाड़ में आदिमियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है—पांच हजार की शक्ल में सब रियासतों से चम्बा से, मंडि आदि से टिड्डियों की तरह इकट्ठा हो गए कि वहां उनसे राज लेना है। रियासत सुकेत की एक तहसील कुरसोक पर सबसे पहले हमला करके वहां के ठाने, टेलीफोन बगैरह पर कब्जा करके, सुन्दर नगर जो वहां की केपिटल थी हमला करना था। इसी दौरान सरदार पटेल की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह हुक्म आया कि तुम लोग वहीं रहो, आगे मत बढ़ो। राजा सुकेत ने सेन्टर से मदद मांगी। सेन्टर से जब मदद मांगने का सवाल पैदा हुआ तो सबसे पहले उनसे यह कहा गया कि कोई इमदाद देने से पहले इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन पर दस्तखत करो। एक तरफ तो उनसे इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन पर दस्तखत करने को कहा गया, दूसरी ओर सत्याग्रहियों को कहा गया कि तुम आगे मत बढ़ो। नतीजा यह हुआ कि 8 मार्च 1948 का पहली मर्तबा राजा साहब सुकेत ने इन्स्ट्रूमेंट पर दस्तखत किए। इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन इस तरह से है—

"Ceding to the Dominion Government full and exclusive authority, jurisdiction and power for and in relation to the Government of their States."

8 तारीख के लगभग दूसरे राजगार ने दस्तखत किये—

"Other Rulers signed similar agreements on subsequent dates. Having regard to the wishes of the Rulers and the people of the Hill States that the territories of these States should be consolidated into one Unit and the desirability of making available to these areas manpower and wealth-

power resources of a large administrative unit the Government of India integrated these States into a Centrally Administered Unit known as Himachal Pradesh."

'The new province which comprises of territory of 31 Hill States had an area of 10,000 square miles with a population of about 9,35,000 and a revenue of about 8.5 millions of rupees. It was inaugurated on April 15, 1948."

It is mentioned in the White Paper on Indian States, 1950 (Appendix XXVII).

इस तरह से यह चीज हो गई। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इसमें यह लिखा हुआ है, इस इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन में जिसमें कि रूलर्स ने साइन किया और इसमें प्रजा मंडल के लोगों का भी सहयोग था :

"...making available to these areas manpower and wealth-power resources of a large administrative unit;"

तो इन बातों को ध्यान में रखते हुये इस वक्त यह चीज हो गई और 15 अप्रैल को जब हिमाचल प्रदेश बन गया तो सब से पहले चीफ कमिशनर का प्राविस हुआ, उनके साथ डिप्टी चीफ कमिशनर भी थे, बहुत असें तक वह काम करते रहे, जब ठीक काम नहीं चला तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने समझा कि तीन आदिमियों की एक एडवाइजरी कमेटी उसके साथ अटैच की जाय लेकिन उसके बाद हुआ यह कि एडवाइजरी कमेटी और चीफ कमिशनर ठीक तरह से नहीं चल सके तो एडवाइजरी कमेटी ने, उसके मेम्बरान ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम इनके साथ सहयोग नहीं कर सकते।

फिर 1950 ई० में जितने भी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज थे उनका एक कंवेनशन दिल्ली के अन्दर हुआ जब कि कांस्टीट्यूटेंट असेम्बली चल रही थी और उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें उन्होंने यह बात मान ली कि इनके वास्ते पार्ट सी स्टेट कायम की जाय जिससे कि सब सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज उसमें आ जाय। पार्ट सी स्टेट एक्ट के अन्दर यह हुआ। अब, बहुत दफा यह कहा जाता है कि अगर हिमाचल

प्रदेश को स्टेटहुड दिया जाय तो बाकी स्टेटों को क्यों न दिया जाय। जहां तक मेरा पर्सनल ख्याल है अगर दूसरी यूनियन टेरिटरीज भी यह महसूस करती हैं कि वह अपने पांवों पर खड़ी हो सकती है तो बड़ी खुशी से खड़ी हो जाय मगर जहां तक इस क्लेम का सवाल है कि हमें भी हिमाचल प्रदेश के साथ लगा दिया जाय तो जिस वक्त यूनियन टेरिटरीज एक्ट, पार्ट सी स्टेट्स एक्ट, पर डिस्कशन हुआ और पास हुआ उस वक्त भी हमारे में अलग अलग वर्क हो गया कि विध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश की एक हैसियत थी, वह एक लाइन में थे, क्योंकि ये ग्रुप्स आफ स्टेट्स के नाम से थीं, आयरंगर साहब ने यह खुद कहा, दूसरी तरफ दिल्ली था और तीसरी तरफ बाकी और थे। जो डिबेट पार्ट सी स्टेट्स एक्ट में हुई उसमें आयरंगर साहब ने साफ तौर पर बता दिया कि जहां तक हिमाचलप्रदेश और विध्य प्रदेश का सवाल है उसका सवाल बाकी यूनियन टेरिटरीज के साथ कुछ नहीं है, इसलिये यह जो सवाल बीच में आ जाता है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड देते हैं तो बाकी को क्यों न दें, रहता नहीं।

अब जिस वक्त यूनियन टेरिटरी एक्ट पास हो रहा था लोक सभा में उस वक्त इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि ये अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाई गई हैं तो इस वास्ते उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया ने साफ तौर पर यह बात मान ली कि जहां तक विध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का सवाल है वह एक बी स्टेट बन जाय। लेकिन यह हो गया कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत से विध्य प्रदेश मिल गया वना विध्य प्रदेश और हिमाचलप्रदेश ये दोनों बी स्टेट्स होतीं, मगर हम लोगों ने भी इसको अपोज किया। तो ये सी स्टेट बनीं, मगर सी स्टेट बनने के बाद भी आयरंगर साहब ने अपनी स्पीच के अन्दर जो कि लोक सभा में उन्होंने दी उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मान लिया कि इन दोनों स्टेटों को मर्ज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बीच में एक बात यह भी आ

रही थी कि राजा लोग, जैसा कि सौराष्ट्र में हुआ कि उसकी यूनियन बन गई और वह खुद अपने राजप्रमुख बन गये, तो कुछ इस किस्म की शंका थी कि कहीं राजा लोग फिर पावर में न आ जाय। तो इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए कि हमारी यूनियन का क्या हो श्री पट्टाभि सीतारामैया जो कि वाइसप्रेसिडेंट आल इंडिया स्टेट पीपुल्स कान्फ्रेंस के थे उन्होंने साफ तौर पर कहा और उन्होंने एक खत सरदार पटेल को लिखा और सरदार पटेल ने उसका जो जवाब दिया उस खत का इस वक्त मैं नम्बर ही देना चाहता हूं, उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उस लेटर का नं० है एस पी 39/29 दिनांक 10 मार्च 1948 और इसके आखीर में सरदार पटेल ने जो लिख रखा है वह यह है :—

"In the final stage, after this area is sufficiently developed in resources and administration, it is proposed that its Constitution should be similar to that of any other province."

तो इस वास्ते सरदार पटेल का यह कमिटमेंट था। क्योंकि जब मर्ज हुआ तो बहुत किस्म की बातें कही गईं जो कि मैंने पढ़ा और उसमें यह बात भी आई थी, पहले-पहले यह बात हुई थी कि एक ऐसा अपर-हाउस हिमाचल प्रदेश के लिये भी बनेगा जिसमें कुछ रूलर्स रहेंगे और फिर लोअर हाउस जो होगा उसमें जनता के नुमाइंदे आयेंगे, लेकिन यह भी था कि वह कांस्टीट्यूशन के मातहत होगा और जैसा कि कांस्टीट्यूशन बनेगा हम करते जायेंगे। तो यह 1950 ई० तक रहा। पार्ट सी स्टेट बनी 1952 ई० में और हमारे यहां मिनिस्ट्री आई 1962 ई० में। मिनिस्ट्री आने के बाद पहली मिनिस्ट्री ने जो काम किया उसकी तारीफ मैं करूंगा उसे तो आप कहेंगे कि तारीफ तो करनी पड़ती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लेकिन जिस आदमी ने भी हिमाचलप्रदेश देखा है वह जानता है जैसे कि यहां माननीय मेम्बर मुसाफिर जी हैं और दूसरे आदमी हैं और अभी श्री सी० बी० गुप्ता वहां गये थे, सारा हिमाचल प्रदेश देख कर वह आये हैं कि हिमाचल प्रदेश

[Shri C. L. Varma]

कितनी तरक्की कर रहा है, वहां कितना डेवलपमेंट हुआ है और दूसरे पहाड़ी इलाके जो उसके साथ हैं उसमें कितना हुआ है। यह इस वास्ते नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रुपया दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रुपया औरों को भी दिया है, सब को रुपया देता है, जिसके लिये हम उसके बड़े मशकूर हैं कि उसने रुपया दिया। तो वहां डेवलपमेंट हुआ। अब जब 1952 में मिनिस्ट्री बनी तो यह हुआ कि उसके बाद एक और तूफान शुरू हो गया और वह लिगुइस्टिक स्टेट का था, चलते चलते यह आंध्र से शुरू हुआ और फिर एक स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमिशन बना और जब स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमिशन बना तो फिर यह सिलसिला शुरू हो गया कि बड़ी बड़ी स्टेट कर के सब ठीक करें। जो चीज 1938 ई० में मान ली गई थी, जिसे पंडित जी के होते हुये माना था, सारे हिन्दुस्तान ने मान लिया था, कि पहाड़ का कल्चर और पहाड़ का सिलसिला अलग है, उसके बावजूद स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमिशन ने जो रिपोर्ट की उसमें जो मेजारिटी रिपोर्ट थी वह हमारे हक में नहीं थी, जो कि चेयरमैन की रिपोर्ट थी वह तो हमारे हक में थी मगर जो मेजारिटी रिपोर्ट थी वह यह थी, उसमें यह कहा था कि दस साल के बाद या कुछ सालों के बाद हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाय, लेकिन हम कैबिनेट के मशकूर हैं कि उन्होंने वह चीज नहीं मानी बल्कि जो माइनारिटी रिपोर्ट थी, जो डिसेंटिंग रिपोर्ट चेयरमैन की थी कि हिमाचल प्रदेश अलग रहे उसको माना। तो हिमाचल प्रदेश अलग रहा और इस तरह से उस वक्त हम इस झमेले से यों बचे। मगर उस वक्त भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएँ आई क्योंकि बहुत कुछ यहाँ सोचा जाता है कि अगर हम किसी को मिनिस्ट्री आफर कर दें तो यह मर्जर को मंजूर कर लेगा, उस वक्त मैं मेम्बर पार्लियामेंट था, मेरे पास भी यह आफर की थी कि हम 10 एकड़ जमीन इस फार्म में दे देते हैं, अगर इकट्ठा हो जाय तो अच्छा होगा लेकिन हमने कहा कि एक दो के करने का सवाल नहीं है,

इस तरह से हमारा प्रदेश आगे चल नहीं सकता है क्योंकि हमारी प्लानिंग कुछ है और प्लेन की प्लानिंग कुछ है, पहाड़ की प्लानिंग कुछ और है और इस वास्ते इससे काम चलने वाला नहीं है, हमने एग्जी नहीं किया। उस वक्त पंत जी ने भी हमें एक बड़ा भारी अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम लोग नहीं इकट्ठा होना चाहते हो तो यह लिख कर दे दो कि हमको मिनिस्ट्री नहीं चाहिये, मिलना नहीं चाहते हो तो लिख कर दे दो कि मिनिस्ट्री नहीं चाहिये, मिनिस्टर नहीं रहना चाहते हो, तो हमारे तीन मिनिस्टरों ने डी० वाई० एस० परमार ने, श्री पद्मदेव ने और पंडित गौरी प्रसाद ने लिख कर दिया कि हम मिनिस्ट्री छोड़ने को तैयार हैं मगर हम अलग रहना चाहते हैं, अगर कोई पहाड़ी इलाका हमारे साथ मिलता हो तो कोई उजर नहीं है लेकिन जहाँ तक पंजाब से मिलने का सवाल है हम कभी नहीं मिलेंगे। उस वक्त यह हुआ कि मिनिस्ट्री और असेम्बली हमारे पास से चली गई और उसके बाद टेरिटोरियल कौंसिल की शकल में हमको दे दिया जिसकी छोटी-मोटी पावर थी। यानी, अगर आप चेयरमैन आफ टेरिटोरियल कौंसिल के स्टेट्स को देखेंगे तो एक डिपुटी सेक्रेटरी से नीचे का दिया गया है। होम मिनिस्ट्री से हमको वैरीफाई करना पड़ेगा कि इस चेयरमैन का स्टेट्स क्या होगा। हमने कौंसिल की बात की इसलिये सपोर्ट किया था क्योंकि हमको डेवलप करना है और हम अलग रख कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं।

इसके बाद जब उन्होंने देखा यह काम अब भी नहीं चलता, लोगों का एडजुडिकेशन चलता रहा तो 1960 या 1961 में अशोक सेन की कमेटी बनी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा जाय कि क्या किया जाय। लेकिन उस कमेटी के सपोर्ट की बात मैं नहीं जानता उसने क्या रिपोर्ट की मगर जो हमारी उनसे बातचीत हुई उससे यह लगता था कि वह स्टेटहुड के हक में थे, यानी हमको असेम्बली दिये जाने तक वे हक में हैं। तो असेम्बली हमको मिल गई और वह हमारे पास मौजूद है और हम उसके जरिये

काम चला रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो असेम्बली वहाँ हैं, और जो एम०एल०ए० हैं उनको क्या आपने पूरे हक दे दिये हैं जो कि मेम्बरान असेम्बली का या मिनिस्टर्स को होने चाहिये। बातचीत चल रही थी, उसी दौरान में पंजाब का झगड़ा चल गया जिसके लिये हिमाचल प्रदेश बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, न ही हिमाचल प्रदेश ने कभी मांग की कि पंजाब को तुम रियायत दे दो। जो करने वाले थे वह सत फतेह सिंह थे, मास्टर तारा सिंह थे या और थे। जब आपने लिगिस्टिक प्राविन्सेज बना दिये तो कोई चारा नहीं था कि पंजाब के दो स्टेट न बनाते। तो जब पंजाब अलग हो गया तो आपने उसको पहाड़ के जो एरियाज थे, खैर सब तो नहीं दिये, लेकिन कुछ एरियाज दे दिये। मगर आपने कांगड़ा का एरिया हमारे लिये रखा और दे दिया। अभी भी हमारा कुछ हिस्सा बकाया है। जब वह एरिया हमारे पास आया तो एक सजा हमको मिली, और वह सजा इस बात की मिल गई कि जो एम०एल०ए० वहाँ से आए, जो तनख्वाहें वह वहाँ झा करते थे वह हिमाचल प्रदेश में नहीं कर सकते थे। दूसरी सजा यह हुई कि जहाँ तक हमारा रेप्रेजेंटेशन है, एंज ए यूनियन टैरिटरी हमारे 80 मेम्बर होने चाहिये, वह तो हमको नहीं दिया। असेम्बली की हैसियत से यह कह कर कि आपकी स्टेटहुड है लेकिन जिस तरह से हमको स्टेट का रेप्रेजेंटेशन दिया, जहाँ तक उनकी सैलरीज का स्टेटस का सवाल है वह दिया यूनियन टैरिटरी की हैसियत से। यह दूसरी ज्यादाती है जो हम महसूस करते हैं। तो यह चीजें चलती रहीं, हम हमेशा रेप्रेजेंटेशन करते रहे। जब हम माननीय होम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं हमको बहुत तसल्ली दिलायी जाती है आप ठीक काम कर रहे हैं और जब हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं तब भी हमको इसी तरह से तसल्ली दी जाती है मगर यह हमारी समझ में नहीं आता है कि यह जो सिलसिला है, इसमें कौन अड़चन है कि स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश को न दी जाय।

6-13 R.S./68

इसी सिलसिले में तमाम जगह यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास आमदनी नहीं है, इकानामिकली वायबल नहीं है। तो यह वायबल का एक ऐसा सवाल है जिसकी निस्वत कहने में मुझे हिचक होती है। मैं क्या कहूँ, वह कौन सी स्टेट है हिन्दुस्तान के अंदर जो वायबल है। अगर कोई स्टेट वायबल होती तो यह जो लिस्ट मेरे पास पड़ी है जिसमें 90 फी सदी की 80 फी सदी माली इमदाद दी जा रही है।

SHRI BANKA BEHARY DAS

(Orissa) : Why is the question of viability being raised because even the Government of India is not viable unless it goes to Moscow or Washington ?

श्री सी० एल० वर्मा : That is what I say* मैं जरा थोड़ा सा आगे ले जाने की फिक्र में था कि जहाँ वायबिलिटी का सवाल है वहाँ सिवाय रशिया या अमरीका के बाकी कोई वायबल का सवाल नहीं है। मगर फिर भी अगर वायबल की बात है तो वायबल तो हम हो सकते हैं और अभी भी जब हमको आपने यह स्टेट दी तो हमारी आमदनी 85 लाख की थी, 8.5 मिलियन। आज हमारी नेट इनकम 14 करोड़ दे रहे हैं। इस सिलसिले में मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखूंगा, समय बहुत थोड़ा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : पांच मिनट बाकी है।

श्री सी० एल० वर्मा : मुझे पांच मिनट से ज्यादा समय चाहिये। यानी, हमको यह बताया गया कि अगर हिमाचल प्रदेश अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह दे सके तो हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ, होम मिनिस्ट्री भी देख ले। यह फिगर्स हैं 1963-64, 1964-65, 1965-66 के रेवेन्यू और रिसीट के। 1963-64 में हमारे ईस्टेब्लिशमेंट के खर्च का फिगर है 413.45 लाख, जब कि रिसीट है 561.01। 1964-65 में खर्चा आता है 657.26 लाख और इनकम है 764.38 लाख। इसके अलावा 1965-66 के भी फिगर्स आप

[श्री सी० एल० वर्मा]

देखेंगे तो फर्क बढ़ता ही जाता है, यानी 811.14 लाख क्योंकि सेक्टर ने एक नयी स्कीम भेज दी है स्टेट को जिसको उसे संभालना होता है। तो 1965-66 में खर्चा होता है 811.14 और इन्कम है 839.27। 1966-67 की जहाँ तक बात है तो उसमें खर्चा रहा 1198.33 और रिसीट है 1075.20 लाख रु०। तो इसमें यह फर्क इसलिये हो गया है कि 1 नवम्बर 1966 को जो हिमाचल प्रदेश में कांगडा का हिस्सा रखा है क्योंकि उसमें जितनी तनख्वाह वगैरह का सिलसिला है सब कुछ आ गया है, वह सब हमारे हिस्से में आ गया है। और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है वह हमने पहले भी बहुत दफा उठाया कि जिस तरह से हमारे गार्डियन ने—क्योंकि हम तो यूनियन टैरीटरीज के लिहाज से बाई हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के—स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन आफ पंजाब के सिलसिले में पंजाब को बचाया है कि जितनी लायबिलिटीज हैं हमारे गले में लगा दीं और जितने प्रोजेक्ट्स थे वह उनको दे दिया, तो इस बास्ते प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में यह बात हुई, उस वक्त यह तय हुआ था, कि जो जो चीज जिस जिस एरिया में हो उस उस एरिया में चली जायेगी और इसलिये प्रोजेक्ट तो हिमाचल प्रदेश में जाता है लेकिन प्रोजेक्टों से जो इन्कम होती है वह हिमाचल प्रदेश के हिस्से में ऐड नहीं होती है, बल्कि एक नया फारमुला होम मिनिस्ट्री ने लगा दिया कि यह नेशनल प्रोजेक्ट होंगे। यहाँ वह सवाल पैदा हुआ तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से 'एज ए गार्डियन' यह हो गया कि उन्होंने हमारे हकूक ठीक तरह से नहीं देखे जिससे हमको आमदनी का रुपया मिल जाय क्योंकि अब तो हमें रुपये की बड़ी किल्लत हो रही है। एक तरफ हम कह चुके हैं कि हम 65 लाख किलोवाट बिजली पैदा करें तो वह 200 करोड़ रुपये की इन्कम हो सकता है बशर्ते वह रुपया हमें मिले। उसी तरह से pp 303 फारेस्ट्स का सवाल है। आपको मालूम होगा कि जमीन का बड़ा भारी हिस्सा जंगल के नीचे है और अगर जंगल की इन्डस्ट्री के लिये रुपया

मिले तो उससे काफी इन्कम हो सकती है। इस वक्त भी हमको जंगल से छः करोड़ रु० की नेट इन्कम है। तो इस बास्ते हमें रुपया मिल जाय तो कोई रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी मिनरेल्स नहीं हैं मगर उसको एक्सप्लॉइट करने के बास्ते हम प्राइवेट हाथों को देते नहीं, और गवर्नमेंट कुछ करती नहीं और इसलिये वह स्कीम आगे चलती नहीं। अभी सीमेंट फैक्टरी बनाने की बात है जो मैं समझता हूँ 18 साल से डिसकस हो रहा है कि सीमेंट फैक्टरी लगेगी, एक नहान में लगनी है, दो विलासपुर में लगनी है। मेरे ख्याल में खर्च चाहे जितना हो जाय लेकिन इस चीज को तय करने में देर नहीं होनी चाहिये थी। मगर अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ। इसी तरह से pp 303 फूट प्रिजरवेशन प्लान्ट का सवाल है। इस समय करोड़ों रुपयों का pp 303 फूट हिमाचल प्रदेश से जा रहा है लेकिन इसके बारे में भी कुछ फैसला नहीं हुआ है।

ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में मुझे खास तौर से अर्ज करना है। नेशनलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट के लिये हिमाचल प्रदेश में तजुर्बा किया जा रहा है। हमको इससे कोई शिकायत नहीं है कि वह नेशनलाइज्ड क्यों है मगर बात यह है कि उसके लिये रुपया तो दो। बिला ट्रक के, बिला बस के वह चलेगा कैसे? नतीजा यह है कि इसको करने के लिये प्राइवेट गाड़ियां ले रखी हैं, उनसे छः छः हजार रुपया लेते हैं, एक तरह से लीगलाइज्ड ब्लैक मार्केटिंग है। अगर ट्रान्सपोर्ट को वहाँ आपने नेशनलाइज्ड करना है तो इसके लिये सारी जरूरियात लगानी चाहियें, क्यों नहीं उसके रुपया दिया जाता? सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ऐसा करने से क्या फायदा है? मेरे ख्याल में मणिपुर की भी यही हालत हो। इसी तरह से ट्यूरिज्म की बात है। ट्यूरिज्म के लिये हिमाचल प्रदेश के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर ठीक तरीके से रुपया वहाँ लगाया जाय तो वह काश्मीर को मात कर सकता है मगर बदकिस्मती से रुपया उसके लिये भी कोई नहीं मिल रहा है। इसके बास्ते थोड़ा बहुत

रूपया जरूर रखा जाना चाहिये। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन की फीस होती है वह नहीं मिलती है। हर स्टेट के अंदर जितनी बिजली का प्रोडक्शन होता है उसकी जेनरेशन फी मिलती है मगर जो बिजली हमारे यहां बनती है उसमें से हमको जेनरेशन फी लेने की इजाजत नहीं है। बदकिस्मती से हिमाचल प्रदेश को ही यह हालत है क्योंकि हमारी हैसियत एक वाई की तरह है। तब फिर हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। अभी तक वह हमको नहीं मिल रही है। (Time bell rings) पांच मिनट और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : नहीं, पांच मिनट नहीं मिल सकते हैं। मूबर के लिये आधा घंटा बोलने की लिमिट है। दो मिनट और ले सकते हैं।

श्री सी० एल० वर्मा : अभी हिमाचल प्रदेश ने एक बात तय की है कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाये जायें और उम्मीद है उससे पांच करोड़ रुपये इन्कम हो जायेगी लेकिन यह इन्कम तब होगी जब उन्को टैक्स लगाने की पूरी पावर हो और खर्च करने की पावर हो। लेकिन वह कोई चीज नहीं होती है क्योंकि यहां से तय नहीं होती है। इसी तरह से टेनेसी ऐक्ट भी पास किये हुए कोई आठ नौ महीने हो गये, जब से कांगड़ा का एरिया हमारे पास आया, तब से छोटी छोटी बातों के लिये शिमला और दिल्ली के दरमियान उनको हर रोज गाड़ियां लेकर आना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिये लोगों को परेशान होना पड़ता है जिसमें उनका भी खर्चा होता है और गवर्नमेंट का भी खर्चा होता है। हमारे यहां के बहुत से लोगों को और मिनिस्टर्स को दिल्ली मई के महीने में काम करने के लिए आना पड़ता है। इन लोगों के लिए मजबूरी है क्योंकि अगर यहां आवे उनका काम भी नहीं हो सकता है। इसलिए बेरी प्रार्थना है कि अगर वहां के लोगों को स्टेट का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें इस समय इस तरह से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वह नहीं करना पड़ेगा।

जहां तक एरिया का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश नागालैंड, हरियाणा, पंजाब और केरल से एरिया में ज्यादा है और आबादी में काश्मीर के मुकाबले में है। नागालैंड और काश्मीर के लोगों ने वायलेस का तरीका अस्तिवार करके अपने लिए स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है। मगर हमारे यहां के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं बहुत अदब के साथ हुकूमत और मिनिस्टर साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि वे हमारे इस केस को लाइटली न लें क्योंकि ऐसा न हो कि हमारे हाथ से बात निकल जाय और इस संबंध में हम लोग फिर मजबूर हो जाय।

जहां तक खर्च का सवाल है, उसके लिए आपको बॉन्डर नहीं करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा जो है वह बाडर की रक्षा करने के लिए तैयार है। मगर बाडर तब ही सुरक्षित रह सकता है जबकि वहां के लोग खुशहाल हों और जनता में किसी बात की नाराजगी न हो। (Time bell rings)

मैं आपका मजकूर हूं कि आपने मुझे दो तीन मिनट ज्यादा बोलने के लिए दिए। बाकी बातें जब जवाब देने की वारी आयेगी तब देखी जायेगी।

The question was proposed.

SHRJ LOKANATH MISRA (Orissa): If the Government agrees immediately...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): There is no indication of that please.

SHW LOKANATH M.SRA : Now uggjstion has corns in a concrete form I think the Mini ter of Home Affairs would be wise enough to send word to his senior colleague to obtain his consent about it.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): The sense of the House should be madi known to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : You cannot delegate to yourself the powers of the Chair.

SHRI LOKANATH MISRA: I would have been extremely happy if the Central Government could have any time acceded to something which was said in sense. They always accede to things which are nonsense. This is the first time I hope and expect that they would probably yield to sense. I was in fact in a divided mind, Sir, before I listened to the mover of this resolution whether I should participate in it or not...

SHRIBHUPESH GUPTA: Then keep your mind first.

SHRI LOKANATH MISRA : When I saw that your party was disintegrating into pieces I then started doubting my own mind.

SHRI BHUPESH GUPTA : Therefore...

SHRI LOKANATH MISRA : Please do not talk of your party now. Sir, unless there is some interruption from my senior colleague Mr. Bhupesh Gupta when I speak, it does not become interesting. Therefore you would please allow some time if it is necessary so that he could have some sort of an interruption and an answer from me. Sir, having listened to the mover of the resolution I felt inclined to speak naturally. The justification was so overwhelming on his side and the injustice done to him by the Minister of Home Affairs was so great that it should be properly emphasised on the floor of the House. I shall begin with the premises given by the exalted leaders of the party in power. Number one: Late Sardar Vallabh bhai Patel who was responsible for the integration of the States said—and probably there could not have been a promise given to the people in any clearer words, I take the extract from his speech—said on 18th March 1948 :

"The ultimate objective is to enable this area to attain the position of an autonomous province of India".

He began with that and ended by saying :

"In the final stage after this area is sufficiently developed in its resources and administration it is proposed that its constitution should be similar to that of any other province of India."

The late Pandit Jawaharlal Nehru reiterated it though in a different context. He said, I am taking a quotation from this book :

"I submit that even this Parliament is committed to it. Apart from the minor points of difference any hesitation in giving effect to it will not have good results. It will show that we give our word and cannot keep it. It is not a good thing for a Government and certainly not for Parliament."

Mr. Bhupesh Gupta will not say that when it comes to the privy purses of the Princes. He becomes so agitated. He is nodding his head...

SHRI BHUPESH GUPTA : Bad promises are to be broken. I would be glad enough...

SHRI LOKANATH MISRA : Fortunately enough till now the Government has not heeded to the communist philosophy. If they had done, they would have been wiped out of the country...

(Interruption by Shri Bhupesh Gupta.)

as has happened in other countries. You have been rooted out in some States. Now Sir, coming back to the point...

SHRI BHUPESH GUPTA : We are wiped out but my friend has been netted in.

SHRI LOKANATH MISRA : Netted in? Now Sir, the great leaders who had a national perspective about matters, who looked beyond a decade or two decades ahead, have held promises to the people that this particular State would be given a full statehood, but subsequently their successors in the shape of either Mr. V. C. Shukla or Mr. Y. B. Chavan have arrived to tone down the emphasis of the promises. Mahatma Gandhi once said on a very historic occasion when he wrote a letter to Lord Wellington that as times change patterns change. Now as times change faces change; as times change Congress changes. As times change adulteration, infiltration from the Communist Party into the Congress Party takes place, and therefore, complete repudiation of all promises takes place.

The tendency is so bad indeed. I am extremely happy to point out that Mr. Y.B. Chavan is a victim of it. He has around him

a set of people who are infiltrators. They never belonged to the Congress. They have just got into the Congress and have now taken over the reins of the ruling party, it seems.

SHRI BHUPESH GUPTA : As for example, Maharaja Karan Singh.

SHRI LOKANATH MISRA: Definitely, Mr. Karan Singh is one. Why, there are other Members also who once belonged to the Leftist Party and who have now infiltrated into the Congress.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): Mr. Lokanath Misra, are we discussing Himachal Pradesh statehood or individuals?

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Lokanath Misra was a film star of repute. You must never forget that.

SHRI LOKANATH MISRA : The lea

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् माफ कीजियेगा, मैं मिश्रा जी से एक जानकारी करना चाहता हूँ कि जो यह कांग्रेस, कांग्रेस कहते हैं तो कांग्रेस से क्या इनका मतलब कांग्रेस पार्टी से है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : Mr. Rajnarain, he understands that.

श्री राजनारायण : कांग्रेस तो पहले थी, अब तो यह कांग्रेस पार्टी है ।

श्री लोकनाथ मिश्र : राजनारायण जी, आप, हम और काफी ऐसे सदस्य जो इधर बैठते हैं कांग्रेस को छोड़ कर चले आये . . .

श्री राजनारायण : अब यह कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस नहीं है ।

dership has gone to them whether it is bad or good.

Now, Sir, I was talking about the promises made. The promises of the present Government are as cheap as any promise made in a market place. But I am talking about promises given by great men like Sardar Vallabh bhai Patel or Pandit Jawaharlal Nehru. Who are those adulterators to ignore those promises?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) in the Chair]

What right have they to ignore or repudiate them? They have absolutely no right to repudiate them.

श्री राजनारायण : वह अपने को रेप्युडिएट कर सकते हैं ।

SHRI LOKANATH MISRA : राजनारायण जी, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिये ।

Sir, the main point in the mind of the Home Ministry not to allow statehood to Himachal Pradesh seems to be their attitude of imperialism towards these small colonies of theirs. The only place which they can directly rule are these small centrally administered areas like Manipur, Tripura, and Himachal Pradesh or some other areas that are nearer them. Once they had a taste of this direct rule, probably they do not want to part with that power. They have always an eye on the greater Provinces where they try to topple the Ministries. Since they cannot do that they must have some permanent colonies. They have temporary colonies like Bihar, Uttar Pradesh or West Bengal or some other States....

SHRI BHUPESH GUPTA : Like the Khas lands of the Nizam.

SHRI LOKANATH MISRA : ... Yes, like the Khas lands of the Nizam from where Mr. Shukla can inherit from Mr. Y.B. Chavan. Therefore, these are their Khas areas and they do not part with them. But the promises given by their forefathers, the great leaders, have to be respected. I would like to know from the individual Members of the ruling party whether they would like to respect the promises given by the late Pandit Jawaharlal Nehru or are they there in the Congress Party to cash in on his name to get elected to the Legislatures?

SHRI A.D.MANI (Madhya Pradesh): What about the Princes? You want the promises with them to be kept.

SHRI LOKANATH MISRA : I want all promises to be kept. I am not like Mr. Bhupesh Gupta who takes one and repudiates the others. I am in favour of keeping all promises once you have given them.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : Thanks to Mr. Chavan.

SHRI LOKANATH MISRA Mr. Chavan wants to rest on their shoulders. That is what I told this House once, that he

[Shri Loknath Misra]

is trying to rest upon the slippery shoulders of the Leftist parties. His fall is inevitable. I have predicted it.

SHRI A. D. MANI : Imminent or inevitable.

SHRI BHUPESH GUPTA: Your shoulders are evidently very tender, Mr. Misra.

SHRI LOKANATH MISRA : He would not dare to stand on my shoulder because they are so stiff and so thorny.

SHRI BHUPESH GUPTA : We know the Swatantra Party shoulders. They are lovely.

SHRI LOKANATH MISRA : No! mine. Do not equate my shoulders with the shoulders of the Swatantra Party.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): They are thorny.

SHRI LOKANATH MISRA : Therefore, Sir, the Central Government and the Home Ministry particularly would be well-advised to honour the promises you have made. The time has come to honour these promises. Now they have unanimously passed a Resolution in their Assembly which may be followed by an agitation. The ruling party which is the same as the ruling party at the Centre does not want to get into an active agitation but all other parties have already informed the Government here at the Centre and their own Governments that unless the promises are kept, they will be forced to actively agitate for full Statehood. So, Sir, I would appeal to the Home Minister that before something very serious happens, let him consider this matter and take a final decision in the matter so that things do not go out of his hands.

Sir, certain things have come to my notice which I consider to be extremely humiliating for any Cabinet to be run that way. I am told that in Himachal Pradesh the Lt. Governor wanted to take one or two of his staff, probably an A. D. C., and this was done without the knowledge of the Chief Minister.

SHRI BANKA BEHARY DAS : Through Chief Secretary.

SHRI LOKANATH MISRA : It was done through the Chief Secretary without the knowledge of the Chief Minister...

SHRI A. D. MANI: The Lt. Governor has the privilege of taking an A. D. C. with him, nobody else.

SHRI BANKA BEHARY DAS: And the Chief Minister is nowhere in the picture.

SHRI LOKANATH MISRA : I am thankful to the Home Ministry that Mr. Mani has not been appointed yet as the Lt. Governor. I thought he understood something about these appointments but it appears that he does not have the basic knowledge about appointments in the States.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar) : I would like to have one information from the hon'ble Member.

SHRI LOKANATH MISRA : In view of these interruptions you would allow me some more time, Sir. I am prepared to talk for two hours.

SHRI B. K. P. SINHA : I want factual information from you or the Home Minister.

SHRI KRISHAN KANT : Are they the same persons?

SHRI B. K. P. SINHA : If the bill for the appointments was footed by the Himachal Pradesh Government then it was proper that the Chief Minister was consulted. But if the Home Ministry or some other Ministry of the Government of India is footing the bill, then the Lt. Governor can make the appointments. I just want to know the real position.

SHRI LOKANATH MISRA : The Home Minister should be in a position to reply. But whatever information I have I shall furnish to the House. The information I have is that the Lt. Governor and the Chief Secretary had the audacity to appoint the personal staff of the Lt. Governor without any intimation to the Chief Minister. What is the Chief Minister meant for?

SHRI A. D. MANI : Do you mean to say that the Chief Minister must know who are the cooks that are being appointed by him.

SHRI LOKANATH MISRA : I do not think the Chief Minister should know before the Chief Minister knows...

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, the Chief Minister is the Naib Gumashta of the Home Minister.

SHRI BANKA BEHARY DAS: The Chief Secretary can know but the Chief Minister cannot know.

SHRI LOKANATH MISRA : I can understand the Governor directly writing to the Home Ministry. But the Governor sends the file through the Chief Secretary who is supposed to serve under the Chief Minister and the Cabinet and it comes directly to the Government of India. It is absolutely humiliating.

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Maharashtra)! In other States the Governors are show-pieces. The Chief Ministers in all these Centrally-administered areas are also show-pieces.

SHRI LOKANATH MISRA : That may be another aspect of it. But all this must have been done through the Home Ministry and it must be with the explicit knowledge of either the Home Minister or any of his Deputies. This is as a result, of the delegation of authority which may be oral or otherwise. A Lt. Governor could not dare to treat the Chief Minister of a State like this elsewhere. Sir, now 4 P.M. the snag is that the Assembly there is an elected Assembly. The Chief Minister is responsible to the Assembly and to his people. But the overlord is the Home Minister. What responsibility does he have? It is like the British days, the Secretary of State staying in London and doing everything by wire-pulling. The Home Minister, Mr. Chavan, stays in New Delhi and may be his Under Secretary would be dealing with the files that come from Himachal Pradesh ...

SHRI BHUPESH GUPTA : Not maybe; it is so.

SHRI LOKANATH MISRA : Because there are Members like Mr. Bhupesh Gupta and others who all the time keep the Home Minister under a permanent torture, no senior man will have the time to go into these files coming from Himachal Pradesh.

SHRI BHUPESH GUPTA : Is the hon. Member keeping the Home Minister under permanent pleasure?

(Interruption).

SHRI LOKANATH MISRA : I thought the Minister got up to say something. He is running away.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : You may kindly wind up.

SHRI LOKANATH MISRA : Authority should accompany responsibility. You

give the responsibility to the Chief Minister. He issues his election manifesto and he gets elected; and ultimately when he comes to power, he forms his own Ministry. But then his Ministry is humiliated step by step and his powers are curbed step by step at different points. How can he be in a position to fulfil or implement whatever he has promised to his people unless you give him authority equal to his responsibility? If you do not want to give him authority, then do away with the Assembly. Do not make a farce of democracy. That is what I would very much like to emphasise in this House. Do not try to make a farce of democracy. The Home Ministry is trying very much to do that. I expected the Home Minister, Mr. Chavan, to be present here when we discussed this Resolution. But I find that one after the other, the Ministers are going away, leaving ultimately the Deputy Minister to listen to whatever is being said. Fortunately they do not have a Parliamentary Secretary. They may not choose to listen to me, but I have the right to say whatever I want to say.

The other point that I wanted to make is that there is no separate cadre for Himachal Pradesh. Any officer from any part of India is dumped into Himachal Pradesh because they have no separate cadre. They have no separate High Court, they have no separate Public Service Commission. The Public Service Commission in Delhi, I am told, recruits for them. How would they recruit people for Himachal Pradesh when the Public Service Commission is situated here? People in Delhi are very much advanced. They are well-informed, they go round all the offices in Delhi and they know where the vacancies occur. Now, if appointments are to be made from here, how is a man from the rural areas of Himachal Pradesh to know which vacancy occurs where? Naturally this is a great injustice to the people of Himachal Pradesh.

SHRI A. D. MANI : I agree with you.

SHRI LOKANATH MISRA : I am glad that at least on this you agree with me. Therefore, it is very fair that all the advantages that go with Statehood should immediately be given to Himachal Pradesh with the Statehood itself. Short of that, it would appear as if the Home Ministry is trying to retain them as its colonies without any concession being given to them in spite of the agitation by the Opposition parties and by the Ministry that is there which belongs to their own party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Your time is up.

SHRI LOKANATH MISRA : Can I take one minute more? I will mention about the projects. Mr. Varma mentioned something about projects. He said that the projects have become national projects. In the case of other projects, I do not know whether they have declared any project in the country as a national project. We have so many projects in our State of Orissa. The Hirakud Dam is there; the Rourkela Steel factory is there. They are not called national projects as such. Of course, they belong to the nation; naturally every project belongs to the nation. But in the case of Himachal Pradesh, why should not the benefits out of these projects go to the Himachal Pradesh? He says that the territory is viable now. As it is, it is economically viable, but it would add to the resources of Himachal Pradesh if the benefits out of these projects which are situated in Himachal Pradesh went to Himachal Pradesh. Why should the Home Ministry, which functions now only as the trustee of the Centrally administered areas, take a final decision in the matter? Who are they? A time might come tomorrow when the Ministry changes here in the Centre. If my party comes to power, I will immediately give Statehood to Himachal Pradesh. What would be the position then?

SHRI BHUPESH GUPTA : I hope you won't put Rajas there.

SHRI LOKANATH MISRA : They have to function as trustees, but they have no final right in the matter. If they, as trustees, give them to somebody else, then the implications would be serious ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : Please wind up.

SHRI LOKANATH MISRA : Therefore, Sir, I demand, vehemently demand, that Himachal Pradesh should be given Statehood immediately. The injustice that has been done already to Himachal Pradesh is great enough. Do not perpetuate it. Thank you.

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Madras) : Mr. Vice-Chairman, Sir, no resolution would have given me greater pleasure to support than the one that has been moved by Mr. Varma, requesting that the House may pass a resolution that the Union Territory of Himachal Pradesh should be made a State of the Indian

Union and Government should take the necessary steps to bring forward suitable legislation to amend the Constitution for the purpose. I support the Resolution of Mr. Varma as, in my view, if there is one Union Territory in the whole country today which has a just and rightful claim to attain full-fledged Statehood, it is Himachal Pradesh, for it is economically viable, geographically strategic and politically mature.

Coming as I do, Mr. Vice-Chairman, from the extreme part of South India, i.e. Tamilnad, I visualise a picture of India clearly, and the consequent political frame in which the various States are to be fitted. The basic question today with reference to the demand of Statehood for the Union Territories is that the condition when they were created, was that when development took place in resources as well as in administration, full Statehood should be conferred upon such Union Territories.

That was the impression that I gathered clearly as well as vividly when I went through the proceedings of the Constituent Assembly, particularly the speeches of Mr. Gopalaswami Ayyangar as well as the great and indomitable Sardar Vallabhbhai Patel. In so many words Sardar Vallabhbhai Patel said that that would be the first Union Territory that would obtain Statehood in future. I would only read the concluding part of the Sardar's statement when he says that after this area is sufficiently developed, i.e. the Himachal Pradesh, in its resources and administration, it is proposed that its constitution should be similar to that of any other Province. To-day we will have to examine whether in the various spheres, economic, political and others Himachal Pradesh could justifiably attain Statehood or not. It is bigger in area than four other States, Nagaland, Haryana, Punjab and Kerala. It is 22 thousand square miles in area, a very big area. Although it has a population of 3 million people, it can stand comparison with other States. Mr. Vice-Chairman, Kerala is only 21 thousand square miles in area, Haryana is 17 thousand square miles, Punjab is 19 thousand square miles and Nagaland is only 4 thousand square miles. I would very humbly submit to the Government that no case can be better than the case of Himachal Pradesh for getting into the domain of a full State. I would also invite the Government's attention to the Constitution of the United States of America where there are big States as well as small States. In the United States of America 11 States could be numbered which will be

smaller in extent than the proposed Himachal Pradesh. That itself can be advanced as an argument to the Government.

Sir, my friend, Mr. Varma, placed before the House many facts concerning the finance of the Union Territory of Himachal Pradesh. I would like to add only one word by way of endorsing his statement, and that is that if it is made a full-fledged State, it would considerably reduce the financial burden upon the Central Government. There will be more direct taxes which the State could levy upon the people and in return the people would get much more benefit from a directly administered popular Government, and to that extent I would say that Himachal Pradesh should be made a full-fledged State.

Sir, considering a very important and strategic position that it occupies on the northern borders, I feel that a full-fledged State of Himachal Pradesh could justifiably be created. If possible, it should be placed under a retired Army General who should act as the Governor there. I make this suggestion from the point of view of military defence, for it would always be better, in a strategic area both in the north as well as in the eastern region, to have an experienced Army General, he may be a retired Army General, performing the duties of a Governor. I would also invite your kind attention and through you the attention of hon. Members to a statement of Pandit Jawaharlal Nehru with reference to Himachal Pradesh, a statement that I happened to read in the Constituent Assembly proceedings. Pandit Jawaharlal Nehru had no objection to the creation of Himachal Pradesh as a full-fledged State but he seemed to object to the addition of too many Governors in the various States which were very small in extent and which would be unnecessarily taxing the exchequers of the States. I certainly would like every Member of this House to accept Mr. Nehru's suggestion and in that I would only recommend that small States like Himachal Pradesh like Haryana, like Punjab, could have a common Governor for two States. If only the Government could accept this proposition, that would considerably lessen the paraphernalia of the Raj Bhavan and the consequent expenditure involved in it.

Sir, I would like to add a word more. I do not know how the hon. Members of this House would react, but I consider this to be a very important suggestion, coming as I do from the South and speaking about the extreme north. Sir, with regard to the constitution of the State of Himachal Pra-

desh, I would very respectfully ask the Government as to why they should not make a Vishal Himachal Pradesh by adding the State of Jammu and making it part and parcel of Himachal Pradesh. I throw the suggestion and I would very much like to invite comments favourable as well as unfavourable or adverse from the hon. Members of this House. The State of Jammu and Himachal Pradesh should be united under a common banner. You may call it Vishal Himachal Pradesh or by any other name that you like. But if such a State comes into existence, I am very confident that it would not only make the northern part of India very viable in every respect but it would be the most powerful State in the northern region. That would to a very large extent ease the position and pave the way for solving the age-old Kashmir problem. I leave it there and I do not want to add anything more to that.

SHRI KRISHAN KANT: Do you refer to Jammu or Jammu and Kashmir both?

SHRI R. T. PARTHASARATHY: I said 'Jammu'. I did not say 'Kashmir'. That is very clear.

(Interruption.)

Mr. Vice-Chairman, I would like to make a reference to the general approach with regard to the constitution of States. It was very unfortunate that we followed a suicidal policy in creating, in some parts of India, States based on linguistic considerations. The creation of linguistic States has made the people in those areas attach themselves stubbornly to their language and to-day we find that linguism in all its pregnant forms has attempted to destroy nationalism. Here I would very much like to invite the attention of the hon. Members of this House to one thing. In future if any Union Territory is to be converted into a State, we should only think of the economic viability of that region rather than have any other consideration. I for one am prepared to wipe out the linguistic States from the Indian map and create more and more States based on economic viability, because our future lies not in linguistic divisions, not in regional disparities, but in the totality of Indian nationalism and I hope that we shall be able to preserve our hard-won Swarajya for every and ever. Thank you.

श्री बालकृष्ण गुप्त (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको बहुत ही अलग स्थिति में रखा है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह

[श्री बालकृष्ण गुप्त]

है जो कि बिलकुल तिब्बत की सीमा पर है और उसके लोगों को स्वायत्त शासन उसी तरह से मिलना चाहिये जिस तरह से और दूसरे राज्यों को है। जब अमेरिका में अलास्का जैसे बर्क से जमे हुये इलाके को स्टेट का पद दिया गया है और उसके दो सेनेटर न्यूयार्क के सेनेटर के बराबर हो कर, समकक्ष हो कर बैठते हैं, तो फिर यहां क्या बात है कि दो, तीन या चार तरह के स्टेट्स के दर्जे बना रखे हैं, कोई होम मिनिस्ट्री के नीचे है, कोई विदेश मंत्रालय के नीचे है ! यह बहुत ही गलत है। हमारे वहां के रहने वाले लोगों को अपनी सरकार चलाने का पूरा हक देना चाहिये। यह जो होम मिनिस्ट्री की छोटी छोटी जागीरें बना रखी हैं, उनके अंदर यहाँ दिल्ली से अफसर भेज दिये जाते हैं शासन चलाने के लिये। पुराने जमाने में हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे याद है कि अवध के ताल्लुकेदार नेहरू साहब के मेहरबान राजा भट्टी को लेफ्टीनेन्ट गवर्नर बना कर भेज दिया गया। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अपने मेहरबान लोगों को बिठाने के लिये यह अलग अलग बाड़े बना कर रखे हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र रहे और जहां के लोग बिना अपने स्वायत्त शासन में रहे . . .

श्री डाह्याभाई पटेल : क्या राजा साहब भट्टी वहां जो बी० आई० सी० के डायरेक्टर हैं, क्या वह लेफ्टीनेन्ट गवर्नर बनाये गये ?

श्री बालकृष्ण गुप्त : वह वहां के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर थे बहुत दिनों तक।

श्री डाह्याभाई पटेल : तो क्या ये उनके संबंधी थे ;

श्री बालकृष्ण गुप्त : जिस तरह से दिनेश सिंह हैं उसी तरह से। मोतीलाल नेहरू के साथ बड़ा संबंध रहा है उन ताल्लुकेदारों का। यह राजा साहब भट्टी राजपुत हैं, वह काश्मीरी ब्राह्मण थे। पं० मोतीलाल नेहरू उनके केस लड़ा करते थे।

श्री राजनारायण : उनको यह पूछना है कि दिनेश सिंह में और राजा भट्टी में क्या संबंध रहा है ? मोतीलाल जो से क्या संबंध रहा है ?

श्री बालकृष्ण गुप्त : लेकिन तब तक दिनेश सिंह जी राजनीति पर इतने ऊपर नहीं आए थे। वह राजा भट्टी पर बहुत मेहरबान थे। यह जो इलाका है हिमाचल प्रदेश का यह 22 हजार बर्ग मील में है, 30 लाख इसकी आबादी है। अमरीका में अलास्का, इडाहो, न्यू हैमर-शायर, बरमौन्ट ये छोटे छोटे राज्य थे, जिनकी एक एक लाख की भी आबादी नहीं थी और उनको पूरे दो सीनेटर भेजने का हक है। आस्ट्रेलिया में भी, वैस्टर्न आस्ट्रेलिया में, सबको बराबर हक है। एक छोटा सा टापू तसमानिया है उसका भी स्टेटहुड हासिल है। हिन्दुस्तान में यह तरह तरह के अलग अलग केन्द्र शासित राज्य बने, कहीं गोवा बनाना, कहीं मणिपुर बनाना, कहीं त्रिपुरा बनाना, कहीं कुछ बनाना। उनको पूरा हक नहीं देना . . .

श्री डाह्याभाई पटेल : काश्मीर बनाना।

श्री बालकृष्ण गुप्त : हां, काश्मीर बनाना ! काश्मीर में तो वैंर स्पेशल हक है। यह हिमाचल प्रदेश हिन्दू एरिया है, इसलिये दुर्भ्यवहार है। काश्मीर में तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देकर अपने साथ रखना है, चुनाव में वोट लेना है, मुसलमानों को खुश करके अपने साथ लाना है। काश्मीर में 8 रु०, 10 रु०, मन चावल मिलता है जब बंगाल में 8 रु० सेर मिलता था। काश्मीर तो एक अपने में अलग जागीर बना दी है। उसमें तो सभी प्रकार के लोग खेलते हैं, कम्यूनिस्ट भी खेलते हैं, सादिक साहब खेलते हैं, कई लोग खेलते हैं, कई ने करोड़ों रुपये इकट्ठा कर लिये हैं, कई ने एजेन्सियां ले रखी हैं, कई ने कुछ कर रखा है। उसका तो जब किस्सा आयेगा और वह बहुत जल्द आने वाला है, पार्लियामेंट में आए या न आए, लेकिन हिन्दुस्तान के रंगमंच में काश्मीर को वह राज आने वाला है। इसी तरह से सिक्किम का हाल है। सिक्किम में जो एक लाख की रियासत थी, उसमें वहां के राजा को करोड़पति बना दिया है।

श्री डाह्याभाई पटेल : अभी रशिया जा रहा है ।

श्री बालकृष्ण गुप्त : वह रशिया भी जायेगा । रशिया तो अब अमेरिका के बराबर जा रहा है, रशिया भी पावर पोलिटिक्स खेलने लगा है, रूस सब राजाओं को मानता है, सब राजाओं से संधि करता है, अरब साहब से संधि करता है, सब जगह संधि कर रहा है । पुराने जमाने में उसने रिवनट्राव मोलोदोव पैक्ट भी किया, तब दूसरे महायुद्ध की शुरुवात हुई थी । तो रूस कोई मामूली देश नहीं है । रूस नम्बर दो की ताकत है । वह भी इधर उधर खेल रहा है, वह भी अपना खेल करेगा ।

इन पहाड़ी इलाकों के बारे में डा० राम मनोहर लोहिया ने कई बार चेतावनी दी । हिमालय के इन पहाड़ों के बारे में कई दफा अपनी बात दोहराई थी । अब उन इलाकों में जब तक विद्रोह हो रहे हैं । कल ही शिलोंग में रास्ते के सारे तार काट दिये गये हैं और असम की राजधानी की संचार व्यवस्था बिलकुल भंग हो गई है, यानी वहां से न तार आ सकते हैं, न टेलीफोन हो सकता है । मुझे मेरे दोस्त श्री बरबोरा ने जो असम से चल कर आये हैं, कल ही कहा था कि जयन्ती में भी एक्स्ट्रीमिस्ट्स उठ रहे हैं । मीजो में उठ गये, नागालैण्ड में उठ गये, यहां हिमाचल प्रदेश के लोग दख्खिस्त करेंगे और हाउस में स्पीच देंगे, उससे कांग्रेस सरकार उनको अधिकार नहीं देने वाली है । उसको भी एक्सट्रीमिस्ट पैदा करने चाहिये । जब तिब्बत की सीमा पर कुछ होता है तो यह फौज भी भेजेंगे, ट्रूस भी करेंगे, संधि भी करेंगे और यहां आकर कोई दख्खिस्त करेगा और हम पार्लियामेंट के मेम्बर भाषण करेंगे, तो हम लोगों की बात को कोई सुनता नहीं है ? आस्ट्रेलिया यह चले जायेंगे, व्हाइट आस्ट्रेलिया की बात नहीं करेंगे कि कोई काला आदमी वहां जाकर क्या करेगा । काले आदमी से क्या कोई बात करेगा, घुसने ही नहीं देते, हम लोगों को बसने ही नहीं देते । छोड़ो यह सब सांस्कृतिक यात्राएं, सद्भावना की यात्राएं । इन सद्भावना

की यात्राओं से बनता क्या है । इन सद्भावनाओं से हिन्दुस्तान को कौन सी तरजीह मिली है ? कहा जाता है कि जगह जगह हिन्दुस्तानियों का स्वागत हो रहा है । हम लोग तो पीकिंग में भी सद्भावना यात्रा करने गये थे । आज अकसाई चिन में सड़क बन गई, कल को हिमाचल प्रदेश में बन सकती है । हमने सुना है हिमाचल प्रदेश में जो 200 बीघा की जमीन थी, वहां पर जो पोंग डाम बन रहा है, वहां भारत सरकार के अफसरों ने उसके ऐवज में 3000 बीघे का मुआवजा दिया है । इस तरह से हिमाचल प्रदेश के लोग दबे हुए हैं, उनको बच्चों की तरह से पालने में बंद करके रखा जा रहा है । मैं तो कहूंगा इस तरह की शासन व्यवस्था का अंत होना चाहिये, रिवालयेशन होना चाहिये । आज अगर डा० राम मनोहर लोहिया के चौखम्मिया राज्य वाले सिद्धांत का पालन किया जाता, तो न मीजो की समस्या होती, न मीजोओं का विद्रोह हुआ होता, न नागा लोगों का विद्रोह हुआ होता और न खासी और जयंतिया का विद्रोह हुआ होता और न हिमाचल प्रदेश को जो आज तकलीफ हो रही है वह होती । सब जगह होम मिनिस्ट्री के मालिक और इनके मेहरबान आफिसर, उनके मेहरबान ताल्लुकेदार ने लूट मचा रखी है और उन बेचारे पहाड़ी भाइयों का यहां रिपब्लिक डे में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर नाचने गाने के लिये बुला कर लोगों के सामने अनूठा दृश्य उत्पन्न करके यह कह दिया जाता है कि उनको हम आदर दे रहे हैं । इससे न उनका सांस्कृतिक विकास होता है, न आर्थिक विकास होता है, न राजनैतिक विकास होता है । यह तो वैसा हुआ जैसे अंग्रेजों के जमाने में ज़रायम पेशा जातियों की हमेशा पुलिस में हाजरी होती रहती थी, इस तरह के तो यह राज्य बना रखें हैं और उनमें यहां के आफिसर काम करते हैं, जिनको यहां की मिनिस्ट्रियों की मेहरबानी हासिल होती है । मैंने देखा रुस्तम जी ने सिक्किम में क्या क्या किया । भूटान में क्या कर रहे हैं । भूटान में 30 लाख की स्कीम बनी है, लेकिन सारे भूटान में हिन्दुस्तान को बरबाद करने के लिये तरह तरह की बातें हो रही हैं । मैं

[श्री बालकृष्ण गुप्त]
गंगटोक डा० राम मनोहर लोहिया के साथ कई दफा गया हूँ, भूटान में हम लोगों को घुसने नहीं दिया, वहाँ भूटान के राजा का जो विरोध करते हैं, उनको बोरों में बंद करके नदी में फेंका जाता है। तो वह भूटान वाले चीन की तरफ नहीं जायेंगे तो करेंगे क्या। आप इस तरह राजाओं को रखेंगे या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के नीकर-शाही अफसर को रखेंगे, जो राजाओं के साथ बैठ कर शराब पीते हैं और बदमाशी करते हैं तो क्या नतीजा होगा. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) You must wind up. Mr. Momin.

श्री जी० एच० वली मोहम्मद मोमीन (गुजरात) : हिमाचल प्रदेश की असेम्बली में जिन जजवात का इजहार किया गया अब वक्त आ गया है कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे देनी चाहिये। उस जजवात से मुझे पूरी-हमदर्दी है। मुझे अफसोस है कि पेश्वर के मुक़र्रिरो में हिमाचल प्रदेश के सवाल के साथ एक दोस्त ने कह दिया कि जम्मू और हिमाचल प्रदेश को एक करके हिमाचल प्रदेश बनाना चाहिये, जो कि एक अजीब बयान है।

हिमाचल प्रदेश उस वक्त वजूद में आया जब हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद सवाल यह था कि रियासतें, चाहे वह हिल स्टेट्स हों, कहाँ जायें। उस वक्त भी यह पता लगता है कि उस वक्त के मुद्दिरान ने, स्टेट्समेन ने, हिन्दुस्तान को जब 'सी' स्टेट का दर्जा दिया उस वक्त उनका भी यह खयाल था कि कच्छ को जो उस वक्त 'सी' स्टेट का दर्जा दिया गया वह कायम रहने का नहीं था, विन्ध्य प्रदेश को भी जो 'सी' स्टेट का दर्जा दिया गया, उसके लिये भी उनका खयाल था कि एक न एक रोज़ उसको किसी एक सूबे से मिलना पड़ेगा। इसी तरह से अजमेर और भोपाल थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की यह खसूसियत थी कि उसको एक न एक रोज़ इस तरह से आगे बढ़ाना है कि उसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाय। हिमाचल प्रदेश के लोग जैसे नहीं हैं जैसे और प्रदेशों के हैं। मसलन पंजाब में एक बड़ा तूफान उठा और

पंजाब की तक्सीम हुई। मुझे हिमाचल प्रदेश के लोगों को थोड़ा सा मौका देखने का मिला है। उसके एम० पीज० जो यहाँ हैं वे मेरे दोस्त हैं। इसलिये मैं बहुत कुछ उनकी नेचर से जान सकता हूँ कि वे बहुत सीधे सादे, भोले भाले और ट्रस्टिंग टाइप के लोग हैं और वह अच्छी बात है।

हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा देने के लिये यह बैयन सबूत है, दलील है कि उसको चीफ कमिशनर के नीचे न रखते हुये एक लिमिटेड फर्म में, कुल प्रोन स्टेटहुड नहीं, लेकिन लिमिटेड स्टेटहुड दिया गया। इसीलिये वहाँ भी एक असेम्बली कायम की गई, वहाँ भी एक चीफ मिनिस्टर है, ले० गवर्नर भी है। ले० गवर्नर की जगह अगर गवर्नर हो तो मैं नहीं समझता कि उसमें पैसों का बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है।

कल तक शिमला के अन्दर पंजाब की गवर्नमेंट रहती थी और शिमला के बड़े बड़े पुराने हाउसेज उनकी खिदमत में हो सकते थे। इसलिये सवाल तो इतना है कि ख़ास कर के जो कांगड़ा ज़िला पंजाब की तक्सीम के बाद हिमाचल प्रदेश को दिया गया, वह क्या एक सूरत में एडीशनल बर्धन नहीं है। उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उनकी अमेनिटीज को आगे बढ़ाने के लिये हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी बढ़ती है और ऐसे वक्त में जब कि हिमाचल प्रदेश बीस साल का अच्छा अनुभव कर सका है, वहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ पहले से अभी तक डा० परमार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वे एक काबिल शख्स हैं और उनके ज़माने में न सेंटर को, न किसी को शिकायत कभी दी गई है। वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट भी अभी तक है और जो कुछ होना है, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट ही वहाँ रहेगी।

अब सवाल यह है कि आया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, वहाँ के एम०एल०एज० ने इतना काफी तर्जुबा कर लिया है कि नहीं कि जैसे एक माइनर अपने गार्जियन है कहता है कि 16 वर्ष तक तुम्हारी गार्जियनशिप कबूल की,

मुझे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अब मैं 19 वर्ष का हो गया तो अब तो मेहरबानी करके अपनी गार्जियनशिप उठा लो। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की मेजारिटी एज 19 वर्ष से निकल कर 24 वर्ष से भी निकल गई है और अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारे गार्जियन रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों मान लिया जाय जब तक कि गवर्नमेंट कोई जोरदार दलीलें न दे कि वह क्यों गार्जियन रहना चाहती है, उसको क्या शक व शुबहात हैं। यूँ अखिराजत तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश को देती है, उसके डेवलपमेंट प्लान्स के लिये देती है। भाखरा डैम के लिये जमीनें हिमाचल प्रदेश ने बड़ी खुशी से देश की खातिर दे दीं। कुछ महीने पहले हमने सुना था कि जब हिमाचल प्रदेश के लिये इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आया, तो पंजाब गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश को फैसिलिटी देने से इनकार कर दिया। जब किसी की जमीनें लेनी हों तो उस वक्त नेशनलिज्म की बात हो, देश की बात हो और जब वही प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी लेने आये तो फिर प्रदेश की बात होने लगी। मैं समझता हूँ कि छोटी स्टेटों में अगर कोई मासूम स्टेट मेरी नज़र में अभी तक है तो वह हिमाचल प्रदेश है और उस गरीब प्रदेश से यह कह दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। उसकी जमीनें गईं, उसके गांव गये, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। यही तो हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में आब्जेक्शन लिया जाता है कि भाई, यहां से पानी तो होगा देश के लिये लेकिन ये जो गांव के गांव वह जायेंगे इसकी कौन ज़िम्मेदारी ले। गरीब हिमाचल प्रदेश ने ऐसी तकरार नहीं उठाई। हिमाचल प्रदेश में चाहे वह ले० गवर्नर हो, कोई हो, अब उनके स्टाक को जो कांगड़ा से निकल कर के आया है शिमला में रहना पड़ता है और उस पर खर्चा करना पड़ता है। चूंकि वह एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिये हर बात में उनको यहां आना पड़ता है और वहां के लोग कहते हैं कि परमार साहब फ्लैग लगा कर के मोटर में निकलते हैं, जो कुछ हो यह चीफ मिनिस्टर किस काम के हैं। चीफ मिनिस्टर

की भी एक प्रेस्टिज, एक इमेज होती है और उसमें घाटा पड़ता है। अबाम जब पूरी तरक्की कर चुकी हो और जब हिमाचल प्रदेश इस चीज को बतला सकता हो कि हमारा फारेस्ट एरिया इतना अच्छा है, हम उसमें से आमदनी कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जब शुरू हुआ था तब शायद उसकी चन्द लाख आमदनी थी लेकिन आज उसकी आमदनी उससे आगे बढ़ कर 14 करोड़ तक पहुंच गई है और उसके इन्कम और एक्सपेंडीचर का जो ड्राफ्ट हमारे सामने दिया गया है और जो पासिविलिटी और टैक्स लगाने की है उसके सबब से हिमाचल प्रदेश अपना केस पेश कर सकता है कि हम सेल्फसफिशियन्ट हैं, हम अपना कारोबार संभाल सकते हैं, इस लिये गवर्नमेंट को पूरी हमदर्दी के साथ इसके ऊपर गौर करना चाहिये। जब कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस मांग के पीछे कोई एजीटेशनल ऐप्रोच नहीं करते हैं तब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है कि वह उसपर काफी हमदर्दी के साथ गौर करे। आज होता क्या है कि आदमी अच्छा रास्ता रखे तो गवर्नमेंट यह कहती है कि यह गड़बड़ नहीं करेगा तूफान पर नहीं चढ़ेगा, चार छः महीने बाद इसपर गौर किया जायेगा। अगर कोई तूफान पर चढ़ जाय तो गवर्नमेंट कहती है कि उसके लिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज गवर्नमेंट वहां अपनी गार्जियनशिप कायम रखना चाहती है।

आज एक भाई ने काश्मीर और जम्मू के लिये कहा कि चूंकि वहां मुसलमानों की मेजारिटी है, मुसलमानों के वोट लेने हैं इस लिये गवर्नमेंट के लोग वहां जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जन संघ को कोई कमेटी करनी होती है या गवर्नमेंट को कोई कमेटी करनी होती है तो शिमला जाते हैं या काश्मीर जाते हैं इस लिये कि वहां की हवा में ठंडक है और तुम्हारे दिमाग को कूल करने के लिये शिमला की हवा चाहिये, काश्मीर की हवा चाहिये। लेकिन जब उनका सवाल आया तो धीमे से एक जैसे इशारा कर दिया गया कि जम्मू को ले कर

[श्री जी० एच० बली मोहम्मद मोमीन]
उसमें डाल दो। पहले भी कर्ण सिंह जी जो आज सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ऐसी बात कह रहे थे। एक को दूसरे से मिलाने से काम नहीं चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही साफ केस है और हम गवर्नमेंट से सुनना चाहते हैं कि उसके पास क्या जोरदार दलील है यह कहने के लिये कि हम हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड क्यों नहीं देते।

हिमाचल प्रदेश को मनीपुर और त्रिपुरा से नहीं कम्पेयर किया जा सकता इस लिये कि वे बहुत ही छोटी स्टेट हैं। मनीपुर और त्रिपुरा का जब फार्मेशन हुआ तो उनको युनियन टेरिटरी में रखा गया था सी स्टेट या जो कहिये वह दर्जा दिया गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिये यह पामिबिलिटी रखी गई थी कि यह स्टेट ऐसी है जो आगे जा कर कुल स्टेटहुड का दर्जा पा सकती है। जब इतनी मुखल्लिसाना मांग हिमाचल प्रदेश की असेम्बली ने की, उसके तमाम सेक्शन ने की और जब हिमाचल प्रदेश इस चीज को कह साता है कि अखराजाह के, टैक्स लगाने के हम को फूल पावर्भ हों तब हम हिमाचल प्रदेश से यह कहे कि क्या है, तुम को स्टेटहुड नहीं दे सकते यह तो वही बात हुई जो अंग्रेज लोग इससे पहले कहते थे कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो। जब हिमाचल के लोग अपना केस इस तरह से पेश कर सकते हैं तो कम अज कम इस हाउस में इतनी चीज तो हो कि इसकी इनक्वायरी हो, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को देखा जाय कि आया स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश को देगे तो वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा या नहीं। वरना क्या होता है कि ले० गवर्नर मोटरों पर ठाठ से दौड़ें, मिलिट्री के आफिसर मोटरों पर ठाठ से दौड़ें और एक सिटिजन तो आज तक शिमला में मोटर में नहीं जा सकता है। मैं पहले चला गया था शिमला में, तो टैक्सी को रोक दिया। मैंने कहा : हुआ क्या। उसने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से यहां किसी की मोटर नहीं जा सकती आपकी तो टैक्सी ही है यह कहां से जा सकेगी। इस तरह के शिमला

के अन्दर मुगलियाना जमाने के बाइसरीगल जमाने के अफसरों के ठाठ बाट रह गये हैं। यह हमारे लिये जमहूरियत का इंसटिक्ट है कि वहां के लोग जीप गाड़ियों में नहीं निकल सकते हैं और ले० गवर्नर और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर गाड़ियों में ठाठ बाट से निकलते हैं। वहां का चीफ मिनिस्टर चल चल कर के दस दस मील जाता है। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा का बढ़ता जरूरी है और वह तभी बढ़ सकती है जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिले। इस हाउस के जरिये हम होम डिपार्टमेंट से कहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के लोग इतनी तरक्की पर पहुंच गये हैं तो उसको स्टेटहुड दिया जाय। यह कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे एक कांग्रेसी मित्र श्रीयुत सी०एल० वर्मा की ओर से यह संकल्प सदन में प्रस्तुत हुआ है। बहुत से कांग्रेसी भाइयों ने इसका अनुमोदन किया है बहुत ही शक्ति के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ इसका अनुमोदन किया है। हम इस सदन में कई बार ऐसा देखते आये हैं कि जो बड़े बड़े कांग्रेसी व्यक्ति बड़े जोर-शोर के साथ किसी संकल्प का समर्थन करते हैं, जब मौका आता है हाथ उठाने का तो या तो वे खिसक जाते हैं या गवर्नमेंट के सामने, विपक्ष के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।

श्री एन० एम० धारिया (महाराष्ट्र) : जो जनसंघ के लोग हैं जब जनसंघ का विपक्ष आता है तो उसके खिलाफ बोटिंग करते हैं।

श्री निरंजन वर्मा : यह स्वाभाविक है कि हमारे मित्र धारिया जी जो अब कुछ दिनों से कांग्रेस में हैं उनको इस विषय पर बोलने का अवसर मिला, वे बोलें और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक दशा प्रगट कर दी।

श्री डाह्याभाई व० पटेल : बोलते हैं एक तरफ, बोट देते हैं दूसरी तरफ।

श्री निरंजन वर्मा : यह स्पष्ट है इस पर कोई टीका-टिप्पणी की जरूरत नहीं है।

श्री नेकीराम (हरियाणा) : इसको छोड़ों, हिमाचल को सपोर्ट करो ।

श्री निरंजन वर्मा : हमने एक उदार भावना से कहा है, हमारे कांग्रेसी भाइयों को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए । हम उनके विषय में क्या कल्पनाएं रखते हैं । जिस भाव से वह किसी एक संकल्प का समर्थन या अनुमोदन करते हैं अन्ततः उसी भावना से उसकी जिम्मेदारी के साथ उसको रहना चाहिए । यह जो आज संकल्प आया है हम समझते हैं कि इस संकल्प का किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा संकल्प है । अगर इसका किसी की तरफ से कोई विरोध हुआ और कांग्रेस की तरफ से, शासन की तरफ से इसका विरोध हुआ तो 4-5 बातें मुख्यतः कही जा सकती हैं । एक बात तो यह, कही जायगी कि बहुत छोटी रियासत बन जायगी बहुत छोटा राज्य रहेगा । दूसरी बात कहेंगे कि बात यह है कि आबादी इसकी बहुत कम है, जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी छोटी यूनिट्स नहीं बनानी चाहिए । तीसरी बात यह कहेंगे कि इसमें स्वतः आत्मनिर्भरता नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए सम्भव है कि यह राज्य आगे जाकर न टिक सके । अगर ये तीन बातें छोड़ दें तो चौथा रामबाण छोड़ेंगे कि बात यह है कि चीन और पाकिस्तान से जो आजकल लड़ाई हिन्दुस्तान को जूझनी पड़ रही है उस कारण हमको विशेष रूप से बार्डर स्टेट का ध्यान रखना पड़ता है । यह जब राज्य बन जायगा तो शायद अच्छी तरह से कार्य न कर सकेगा, इसलिए हमको इसे केन्द्र के संरक्षण में रखना आवश्यक है । यह अमोघ अस्त्र वे देंगे । अन्ततः इन चार बातों पर हमें विचार करना चाहिए । हम समझते हैं कि कांग्रेसी बेंचेज में भी विद्वान हैं और सब चीजों को समझते हैं, एक क्षण को भी हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमसे जो विरोध करते हैं उनकी सोचने की क्षमता कोई कम है या वे विचार नहीं करना चाहते । प्रश्न यह है कि कौन सी विशेष राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं और कौन सी राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं नहीं हैं । इस दृष्टिकोण को हमें अपने

सामने रखना चाहिए । अगर छोटे राज्य की कल्पना की जाय कि हिमाचल प्रदेश एक छोड़ा सा राज्य रहेगा तो हम आपके सामने संसार के बहुत से राज्यों का विवरण देना चाहेंगे । यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में एक छोटा सा प्रान्त है, छोटा सा राज्य है और उस राज्य का नाम है डिस्ट्रिक्ट आफ कोलम्बिया । कितना बड़ा है ? 61 मील का है, 61 मील से अधिक नहीं है और उसकी पापुलेशन 8,02,178 है । इसी प्रकार एक और छोटा सा उनके यहां प्रान्त है और उसका नाम व्योमिंग है । उसकी आबादी 2 लाख 90 हजार है । यह तो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की बात हो गई । अब कनाडा की ओर चलिए । कनाडा में एक छोटा सा राज्य है जिसको सम्पूर्ण अधिकार है जैसे कि हम हिमाचल के लिए मांगते हैं, उसी प्रकार यह एक छोटा सा राज्य है, उसको पूरा अधिकार है, उसका नाम है प्रिन्स एडवर्ड आइलैंड । वह आइलैंड इसके पीछे लगा है तो बहुत से मित्रों को सम्भवतः यह भ्रम हो सकता है कि यह दूर जाकर एक टुकड़ा होगा, इसलिए उसको सम्पूर्ण अधिकार देकर सुरक्षित रखने की दृष्टि से सत्ता-सम्पन्न कर दिया गया । यह बात नहीं है । उसकी आबादी 98,429 है । बहुत बड़ी जन संख्या नहीं है लेकिन उसको भी अधिकार दे रखे हैं । यह तो हुई छोटी छोटी रियासतों और राज्यों की बात, लेकिन अगर देश देखें तो हमारे सरीखे जो एशिया के और अफ्रीका के पिछड़े हुए देश हैं, वहां पर यह कहा जा सकता है कि छोटे छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन योरोप के देशों में और योरोप के पास लगे हुए देशों में ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 11 लाख से ज्यादा नहीं है । अल्बानिया एक देश है, सम्पूर्ण प्रभु सत्ता सहित, उसकी फारन पालिसी अलग है । उसकी सरकार की सारी योजनाएं अलग है और वह बहुत अच्छी तरह से अपने देश का प्रबंध करता है । इसलिए यह बात किसी अंश में समुचित नहीं कही जा सकती ।

इन छोटे छोटे स्थानों को गिनाने के बाद बड़े राज्यों की तरफ देखें । एक बड़ा राज्य

[श्री निरंजन वर्मा]

संसार में रहता है जिसको सोवियत रूस कहते हैं। सोवियत रूस में भी इस प्रकार के छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पर एक प्रान्त को, एक छोटे राज्य को समस्त अधिकार दे देने के लिए तैयार है और दिए हैं—इतना बड़ा जैसी कि भारतवर्ष में एक रियासत हो सकती है। सोवियत रूस में किरगिज प्रान्त है। यह किरगिज प्रान्त हिन्दुस्तान से ऊपर की तरफ एक भाग है, ताशकन्द के पश्चिम की तरफ का एक हिस्सा। वहाँ की आबादी केवल 18 लाख है। तो इस परिणाम पर हम पहुँचते हैं कि हमारे कांग्रेसी मित्रों, जो शासनकी हों में हों मिलाने के लिए तैयार हैं और हमारा विश्वास है कि बहुत से मित्र मिला सकेंगे और शासन का यह कहना कि हिमाचल प्रदेश को यह अधिकार हम देने के लिए तैयार नहीं है तो हम नम्रता से कहेंगे कि जो दो-तीन बातें आप कह रहे हैं; वे अपने स्थान पर सही नहीं हैं।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास के ऊपर कुछ प्रकाश हमारे मित्रों ने डाला और कहा गया कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके विषय में आश्वासन दिया था और उनके पश्चात् श्री गोपालस्वामी आर्यंगार ने भी इसके लिए आश्वासन दिया था। हम कहते हैं कि यह अपने तथ्य के समर्थन के लिए तो अच्छी बात हो सकती है लेकिन, श्रीमन्, जिसको बिल्कुल सूर्य समझते हैं उसके लिए किसी मणि को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चाहे जवाहरलाल जी ने कुछ कहा हो, चाहे गोपालस्वामी आर्यंगार ने कुछ कहा हो, चाहे वर्तमान प्रधान मंत्री कुछ क्यों न कहें लेकिन यह बात आवश्यक है कि हिमाचल एक प्रदेश है और उसको राज्य की स्थिति अवश्य दी जानी चाहिए।

उस राज्य की स्थिति के लिए अब तीसरा पक्ष प्रस्तुत किया जाय। तीसरा पक्ष प्रस्तुत करते समय बहुत से मित्र यह कहेंगे कि यह सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्यों में केन्द्र का अधिक वर्चस्व होना चाहिए,

अधिक प्रभुत्व होना चाहिए ताकि जब कभी कोई समस्या आ जाय तो वह वहाँ पर जाकर कार्य कर सके। हम ऐसे मित्रों का ध्यान दूसरे सीमावर्ती प्रदेशों की तरफ आकर्षित करते हैं। आप देखेंगे सीमावर्ती जो राज्य हैं, नागा प्रदेश है, हमारा बिहार है, बड़ो बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, काश्मीर है और पंजाब का एक भाग है और राजपूताने का, राजस्थान का एक भाग है। हमने इनमें क्या क्या योजनाएँ दी हैं। यह राज्यों की स्थिति में होते हुए भी जब हम इनको योजनाएँ दे सकते हैं तो कोई कारण बताएं कि हिमाचल प्रदेश को एक राज्य की स्थिति देने के पश्चात् भी वे योजनाएँ वहाँ क्यों नहीं लागू की जा सकती? अवश्य लागू की जा सकती हैं। इसलिए उक्त यह कहना निस्सार है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य की स्थिति न देकर जैसे अभी लेफ्टीनेंट गवर्नर की स्टेट बना कर अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है उसी स्थिति में रखना चाहिए।

हमारे मित्रों की तरफ से यह तर्क दिया गया और सुझाव दिया गया कि बाहर के आदमी वहाँ पर आकर लड़ते हैं। हम मध्य प्रदेश वालों से अच्छी जानकारी इस सम्बन्ध में शायद ही भारत के किसी सौभाग्यशाली प्रान्त को होगी। हमारा प्रान्त अनाथ प्रदेश है, जहाँ पर कलेक्टर से लेकर बड़े बड़े आदमी बाहर के प्रदेश से आए हैं। हमारे प्रदेश के आदमी बहुत कम हैं। हम समझते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति होती है। अगर कोई एक बड़ा अदामी पब्लिक सर्विस कमिशन का बाहर से आ कर बैठ जाय तो अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर भरता है, इसी तरह जो उद्योगधंधे हैं उसमें यह हाल होता है। हमारे यहाँ पर भिलाई और भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारखाने हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं लेकिन हमारी स्थिति यह है कि 717 इंजीनियरों में 127 इंजीनियर हमारे प्रदेश के हैं बाकी और बाहर के प्रदेशों के हैं यह स्थिति है।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : बहुत ज्यादा है।

श्री निरंजन वर्मा : खैर, हिन्दुस्थान हमारा एक देश है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यह कटु सत्य है। आज हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों को और उन मित्रों को जिन्होंने स्वराज्य के समय में अपना बलिदान किया है, त्याग किया है और एक राज्य को बनाने में जिन्होंने यत्न किया है उन मित्रों को इस बात पर बड़ा क्षोभ और दुख होगा कि उन लोगों को वह स्थिति नहीं दी गई जैसी कि दूसरे प्रान्तों को स्थिति दी गई है।

श्रीमन्, हिमाचल प्रदेश की प्रगति के विषय में एक दो आंकड़े प्रस्तुत करना साधारणतया बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि उससे एक सरसरी नज़र से, एक नज़र से, देखा जा सकेगा कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश ने कोई प्रगति की है या नहीं की है। [Time bell rings] मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ। वह आंकड़े यह हैं। यह देखा जाय कि हिमाचल प्रदेश में 1948 ई० में क्या स्थिति थी और 1968 ई० में उसकी क्या प्रगति हुई। रेवेन्यू उस समय 80 लाख के लगभग थी और अब 1 करोड़ 37 लाख के लगभग हो गई है, इसी प्रकार एरिया उस समय 10 हजार वर्ग मील का था और इस समय 22 हजार वर्ग मील का है, पापुलेशन उस समय 9 लाख 35 हजार की थी और इस समय वहाँ की जनसंख्या 30 लाख के करीब है, इत्यादि इत्यादि।

लेकिन इसके साथ साथ एक बात में अवश्य ही कहूंगा, हिमाचल प्रदेश के मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वह समानता का दर्जा लेने के लिये तैयार हैं और वह होना भी चाहिये लेकिन अभी पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश के मित्रों की तरफ के एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें संसद के सदस्यों को तथा और लोगों को आमंत्रित किया गया था। उस पूरी फिल्म में उस प्रदेश को गाने नाचने वालों का बताया गया था, किन्नरों का

7—13 R.S. 68

प्रदेश बताया गया, स्वर्ग सा प्रदेश बताया गया, कहा गया कि काश्मीर से अच्छा है, स्त्रियाँ, लड़कियाँ नाच रही थीं, आदमी नाच रहे थे, किन्तु हमको बड़ा आनन्द होता अगर वह कहते कि हम राणा प्रताप के राजस्थान ऐसे प्रदेश से हैं, अगर वह कहते कि क्षेत्राणियाँ को तरह जौहार करने वाला हमारा देश है जहाँ कि 14 हजार स्त्रियाँ एक साथ चिता में जल सकती हैं, अगर कहते कि काश्मीर के मोर्चे पर हमारे आदमियों ने भाग लिया है। इससे मैं समझता हूँ उनकी कीर्ति और ऊँची होती। और इस राज्य का दर्जा देने में किसी को आपत्ती न होती। [Time bell rings]

तो संक्षेप में हमारे योग्य मित्र के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं हृदय से अनुमोदन करता हूँ और हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे कांग्रेसी मित्र हृदय से उसका पूरा पूरा समर्थन करें।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE BORDER SECURITY FORCE BILL, 1968

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Border Security Force Bill, 1968, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th July, 1968".

Sir, Hay the Bill on the Table.

RESOLUTION RE ACCORDING FULL STATEHOOD TO THE UNION TERRITORY OF HIMACHAL PRADESH— contd.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं तहेदिल से हिमाचल प्रदेश को जो इंडियन यूनियन का एक राज्य बनाने का प्रस्ताव हमारे वर्मा जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार के पास कोई दलील नहीं है कि उसको राज्य